

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून

उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान-2026

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, कुमाउंनी, गढ़वाली एवं अन्य बोली भाषा जैसे-जौनसारी, रं, थारू, बोक्सा, राजी, रवाल्टी, जोहारी, जाड़, गुजरी, कौरवी, बंगाणी, शौका, भोटिया आदि में उत्कृष्ट साहित्य सृजन करने वाले राज्य के साहित्यकारों को निम्न सम्मानों से सम्मानित करने के लिए साहित्यकारों/साहित्यिक संस्थाओं/प्रबुद्धजनों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र/संस्तुतियां आमंत्रित हैं-

(01) उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान

उत्तराखण्ड के ऐसे साहित्यकार, जिन्होंने आजीवन दीर्घकालीन साहित्य सृजन एवं साहित्य सेवा की हो तथा विभिन्न विधाओं/विषयों में विशिष्ट साहित्य सृजन किया हो, को उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान दिया जाना प्रस्तावित है।

मापदण्ड-

01. उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान की प्रविष्टियों के लिए लेखक या संस्तुतिकर्ता द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र/संस्तुति पत्र पर समस्त सूचनाएं भर कर सर्वोत्कृष्ट 05 पुस्तकें, प्रत्येक पुस्तक की 4-4 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी, साथ ही लेखक का समग्र व्यक्तित्व वाला जीवनवृत्त जिसमें साहित्य सृजन एवं साहित्य सेवा, देश-विदेश की विभिन्न साहित्यिक समितियों में सदस्यता का उल्लेख, विभिन्न पुरस्कारों से विभूषण, प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों का विवरण, प्रकाशित पुस्तकों की सूची, देश-प्रदेश में साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान, यदि विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में लेखक की पुस्तकें पढ़ाई जा रही है, का विवरण होना आवश्यक है।
02. उक्त पुरस्कार के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के जीवित साहित्यकार पात्र होंगे।

(02) उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार-

हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, कुमाउंनी, गढ़वाली, एवं उत्तराखण्ड की अन्य बोलियों व उप बोलियों में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा। दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार प्रविष्टि के लिए लेखक/संस्तुतिकर्ता को सर्वोत्कृष्ट 03 पुस्तकें संस्थान को प्रेषित करनी होंगी, प्रत्येक पुस्तक की 4-4 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी।

पुरस्कार	भाषा	पुरस्कार का नाम
उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार	हिन्दी साहित्य	सुमित्रा नन्दन पंत पुरस्कार
	कुमाउंनी बोली भाषा	गुमानी पंत पुरस्कार
	गढ़वाली बोली भाषा	भजन सिंह 'सिंह' पुरस्कार
	अन्य बोली भाषा	गोविन्द चातक पुरस्कार
	उर्दू भाषा	प्रो. उन्वान चिश्ती पुरस्कार
	पंजाबी भाषा	अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार
उत्तराखण्ड साहित्य नारी वंदन सम्मान	नेपाली भाषा	ठाकुर चंदन सिंह पुरस्कार
	हिन्दी भाषा	गौरा पन्त 'शिवानी' पुरस्कार

बाल साहित्य लेखन सम्मान	हिन्दी एवं लोक भाषा	मंगलेश डबराल पुरस्कार
-------------------------	---------------------	-----------------------

(03) उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन एवं साहित्यिक पत्र-पत्रिका लेखन पुरस्कार

विषय/भाषा	पुरस्कार का नाम	विधा
हिन्दी	महादेवी वर्मा पुरस्कार	महाकाव्य/खण्डकाव्य/काव्य रचना
	शैलेश मटियानी पुरस्कार	कथा साहित्य
	डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार	अन्य गद्य विधाएँ
कुमाउंनी	बहादुर बोरा पुरस्कार	समस्त गद्य विधाएँ
	शेर सिंह बिष्ट 'अनपढ़' पुरस्कार	समस्त पद्य विधाएँ
गढ़वाली	भवानीदत्त थपलियाल पुरस्कार	समस्त गद्य विधाएँ
	कन्हैयालाल डंडरियाल पुरस्कार	समस्त पद्य विधाएँ
पत्र/पत्रिकाएं (हिन्दी/लोक भाषा)	भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार	साहित्य में मासिक/द्वैमासिक /त्रैमासिक पत्रिकाओं पर

मापदण्ड—

01. मौलिक/प्रकाशित/पुस्तकाकार रचना ही पुरस्कार के योग्य मानी जायेगी। अनुवादित कृति (अनुवादित साहित्य विधा को छोड़कर) तथा विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा की उपाधि के लिए तैयार किया ग्रन्थ/प्रबन्ध या शोध कार्य पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा।
02. मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार प्रविष्टि के लिए प्रत्येक पुस्तक की 04 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी।
03. उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से तीन वर्षों में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति, मौलिक पुस्तक लेखन के लिये उपरोक्त वर्णित पुरस्कार होंगे। उदाहरण— वर्ष 2026 के पुरस्कार चयन के लिये जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2025 तक के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
04. विभिन्न खण्डों में विभाजित कृति का अपूर्ण खण्ड पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा। वर्ष विशेष में सभी खण्ड मुद्रित होने चाहिए।
05. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अनुदान से प्रकाशित पुस्तक को प्रकाशित वर्ष के पुरस्कारों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
06. पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट अधिकार बना रहेगा।
07. किसी एक लेखक को एक विधा में केवल एक बार पुरस्कृत किया जायेगा।
08. ऐसी कृति, जिसे पहले उत्तराखण्ड या अन्य राज्यों से कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो या उत्तराखण्ड भाषा संस्थान से दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन या अन्य किसी भी पुरस्कार के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, पुरस्कार योग्य नहीं माना जायेगा।
09. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जायेगी।
10. पुरस्कार हेतु प्रेषित पुस्तक के पाठ्य भाग की पृष्ठ संख्या कम से कम 60 होनी अनिवार्य है।
11. पत्रिका विधा में वर्ष विशेष में प्रकाशित सभी अंकों की 4-4 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी। किसी एक पत्रिका को एक बार से अधिक पुरस्कृत नहीं किया जायेगा। पुरस्कार की राशि सीधे पत्रिका को दी जायेगी।

(04) अनूदित कृति पुरस्कार

उत्तराखण्ड के ऐसे रचनाकार जिन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं एवं लोक भाषाओं में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना का हिन्दी में अनुवाद किया हो, को सर्वश्रेष्ठ अनुवाद के लिए गंगा प्रसाद विमल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

मापदण्ड—

01. अनुवाद की गयी मूल कृति के लेखक से अनुवाद करने हेतु अनुमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
02. प्रकाशित/पुस्तकाकार रचना ही पुरस्कार के योग्य मानी जायेगी।
03. पुरस्कार प्रविष्टि के लिए प्रत्येक पुस्तक की 04 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी।
04. अनूदित कृति पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से तीन वर्षों में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति, उक्त पुरस्कार के लिए योग्य होगी। उदाहरण— वर्ष 2026 के पुरस्कार चयन के लिये जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2025 तक के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
05. विभिन्न खण्डों में विभाजित कृति का अपूर्ण खण्ड पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा। वर्ष विशेष में सभी खण्ड मुद्रित होने चाहिए।
06. ऐसी कृति, जिसे पहले उत्तराखण्ड या अन्य राज्यों से कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, पुरस्कार योग्य नहीं माना जायेगा।
07. पुरस्कार हेतु प्रेषित पुस्तक के पाठ्य भाग की पृष्ठ संख्या कम से कम 60 होनी अनिवार्य है।

(05) उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदीयमान सम्मान—

हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, कुमाउंनी, गढ़वाली, एवं उत्तराखण्ड की अन्य बोलियों व उप बोलियों में नवोदित लेखक को सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जायेगा

विषय	पुरस्कार का नाम
हिन्दी	चन्द्रकुंवर वर्त्वाल पुरस्कार
कुमाउंनी	गिरीश तिवारी 'गिर्दा' पुरस्कार
गढ़वाली	विद्या सागर नौटियाल पुरस्कार
अन्य भाषा/बोली	इलाचन्द्र जोशी पुरस्कार

01. उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदीयमान सम्मान के लिए अधिकतम 40 वर्ष आयु वर्ग के साहित्यकार, लेखक, कवि, रचनाकार योग्य होंगे।
02. लेखक को सर्वोत्कृष्ट पुस्तक संस्थान को प्रेषित करनी होंगी, प्रत्येक पुस्तक की 4-4 प्रतियाँ अपेक्षित होंगी।
03. आयु की गणना 1 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी।
04. लेखक को आयु के प्रमाण के लिए आयु प्रमाण पत्र अथवा 10वीं के प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

उक्त समस्त पुरस्कारों हेतु सामान्य निर्देश—

01. उक्त समस्त पुरस्कार राज्य स्तरीय होंगे। पुरस्कारों हेतु ऐसे साहित्यकार, जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हो या ऐसे साहित्यकार जो 15 वर्षों से उत्तराखण्ड में निरन्तर निवास कर रहे हैं, उक्त सम्मान/पुरस्कार के लिए योग्य होंगे, इस हेतु उन्हें उत्तराखण्ड में जन्म/स्थायी निवास/उत्तराखण्ड में 15 वर्ष से लगातार निवास करने के संबंध में

प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा। केवल गढ़वाली, कुमाउंनी एवं अन्य बोलियों के पुरस्कार जैसे- उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन, (गुमानी पंत, भजन सिंह 'सिंह', गोविन्द चातक) उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार, (बहादुर बोरा, शेर सिंह बिष्ट 'अनपढ़', भवानीदत्त थपलियाल, कन्हैयालाल डंडरियाल) उत्तराखण्ड नवोदित साहित्य उदीयमान सम्मान (गिरीश तिवारी 'गिर्दा', विद्या सागर नौटियाल, इला चन्द्र जोशी) में उत्तराखण्ड एवं देश के अन्य भागों में रह रहे उत्तराखण्ड के साहित्यकारों के लिए जन्म एवं लगातार रहने की बाध्यता नहीं होगी, इन भाषा-बोली के साहित्यकारों के आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा।

02. उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान एवं दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार के लिए एक संस्तुति प्रपत्र पर किसी एक साहित्यकार के नाम की संस्तुति ही मान्य होगी।
03. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों/संस्तुतियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
04. भाषा संस्थान के वर्तमान अधिकारी, साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति के वर्तमान सदस्य पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं होंगे।
05. उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अनुदान से प्रकाशित पुस्तक को प्रकाशित वर्ष के पुरस्कारों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
06. पुरस्कार के लिये चयनित पुस्तक के संबंध में किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी/कानूनी प्रकरण/असत्य सूचना, हस्ताक्षरित स्वप्रमाणन में वक्तव्य से इतर कोई भी तथ्य जो संबंधित कृति के लिए छुपाया गया हो, सामने आने पर संबंधित लेखक/रचनाकार जिम्मेदार होगा, इस पर संस्थान द्वारा आवश्यक रूप से विधिक कार्यवाही की जायेगी।
07. पुरस्कार योजना में प्राप्त पुस्तकों/पत्रिकाओं में से 02 प्रतिष्ठा पुरस्कार घोषणा के 06 माह के भीतर भाषा संस्थान कार्यालय से वापस प्राप्त की जा सकती हैं, निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई भी पुस्तकें वापस नहीं की जाएँगी।
08. उक्त पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार की अन्य किसी कृति एवं नाम पर अगले 03 वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा।
09. प्रत्येक विधा/विषय में उपयुक्त प्रविष्टियाँ प्राप्त न होने पर पुरस्कार देने की बाध्यता नहीं होगी।
10. यदि पुरस्कार प्रदान किये जाने के पूर्व किसी पुरस्कार के लिए चयनित साहित्यकार की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके पति/उसकी पत्नी अथवा किसी कानूनी वारिस को दिया जायेगा।
11. आवेदक द्वारा पुरस्कार प्रदान किये जाने अथवा पुरस्कार चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जायेगा।
12. संस्थान को उक्त सम्पूर्ण पुरस्कार योजना को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, इसके लिए कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा, पुरस्कारों के लिए संस्थान का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

उपरोक्त पुरस्कारों हेतु आवेदन/संस्तुतियाँ (पुस्तकों सहित) **पुरस्कार संबंधी** शीर्षक से निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, 461/1/1, चन्द्रलोक कालोनी राजपुर रोड, देहरादून को **दिनांक- 16 नवम्बर, 2026** तक डाक अथवा स्वयं द्वारा पहुंचानी आवश्यक है, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन/संस्तुति पत्र संस्थान की वेबसाइट— **www.ubs.uk.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है, अधिक जानकारी संस्थान के दूरभाष 7830005969 या किसी भी कार्यदिवस में संस्थान कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(मायावती ढकरियाल)
निदेशक

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून

उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान-2026

उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान के लिये आवेदन पत्र—

- 1— साहित्यकार का नाम.....
- 2— जन्म तिथि.....
- 3— जन्म स्थान
- 4— पता.....
- 5— लेखन की विधा.....
- 6— प्रकाशित साहित्य (कृतियों की संख्या सहित).....
- 7— सर्वोत्कृष्ट 05 पुस्तकों की 04—04 प्रतियाँ (आवेदन पत्र के साथ संलग्न).....
.....
- 8— प्राप्त पुरस्कार/सम्मान आदि का विवरण.....
- 9— लेखक का समग्र व्यक्तित्व वाला जीवनवृत्त जिसमें साहित्य सृजन एवं साहित्य सेवा, देश—विदेश की विभिन्न साहित्यिक समितियों में सदस्यता का उल्लेख, विभिन्न पुरस्कारों से विभूषण, प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों का विवरण, प्रकाशित पुस्तकों की सूची, देश—प्रदेश में साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान, यदि विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में लेखक की पुस्तकें पढ़ाई जा रही है, का विवरण होना आवश्यक है।
- 10— उत्तराखण्ड में जन्म/स्थायी निवास/उत्तराखण्ड में 15 वर्ष से लगातार निवास करने के संबंध में प्रमाण—पत्र/शपथ—पत्र देना अनिवार्य है।
(संलग्न करने का उल्लेख)

साहित्यकार के हस्ताक्षर:.....

दिनांक:.....

पूरा पता:.....

.....

दूरभाष.....

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून

उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान-2026

दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार/उत्तराखण्ड साहित्य नारी वंदन सम्मान/बाल साहित्य लेखन

पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र—

- 1— साहित्यकार का नाम.....
- 2— जन्म तिथि.....
- 3— जन्म स्थान
- 4— पता.....
- 5— लेखन की विधा.....
- 6— प्रकाशित साहित्य (कृतियों की संख्या सहित).....
- 7— सर्वोत्कृष्ट 03 पुस्तकों की 04-04 प्रतियाँ (आवेदन पत्र के साथ संलग्न).....
.....
- 8— प्राप्त पुरस्कार/सम्मान आदि का विवरण.....
- 9— लेखक जीवनवृत्त.....
- 10— उत्तराखण्ड में जन्म/स्थायी निवास/उत्तराखण्ड में 15 वर्ष से लगातार निवास करने के संबंध में
प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र देना अनिवार्य है।

(संलग्न करने का उल्लेख).....

नोट—केवल गढ़वाली, कुमाउंनी एवं अन्य बोलियों के पुरस्कार जैसे— गुमानी पंत, भजन सिंह 'सिंह', गोविन्द चातक पुरस्कारों हेतु उत्तराखंड एवं देश के अन्य भागों में रह रहे उत्तराखण्ड के साहित्यकारों के लिए जन्म एवं लगातार रहने की बाध्यता नहीं होगी, इन भाषा-बोली के साहित्यकारों के आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा।

साहित्यकार के हस्ताक्षर:.....

दिनांक:.....

पूरा पता:.....

.....

दूरभाष.....

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून

उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान-2026

उत्तराखण्ड साहित्य भूषण पुरस्कार/दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार/उत्तराखण्ड साहित्य नारी

वन्दन सम्मान/बाल साहित्य लेखन पुरस्कार हेतु संस्तुतिकर्ताओं के लिए आवेदन पत्र

संस्तुति-प्रपत्र वर्ष.....

सम्मान का नाम जिसके लिए संस्तुति की जा रही है

.....

- 1- साहित्यकार का नाम.....
- 2- जन्म तिथि.....
- 3- जन्म स्थान
- 4- पता.....
- 5- लेखन की विधा.....
- 6- प्रकाशित साहित्य (कृतियों की संख्या सहित).....
- 7- विज्ञापन के अनुसार सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों की 04-04 प्रतियाँ (आवेदन पत्र के साथ संलग्न).....
- 8- प्राप्त पुरस्कार/सम्मान आदि का विवरण.....
- 9- लेखक जीवनवृत्त.....
- 10- अन्य साहित्यिक उपलब्धियाँ.....
- 11- सम्पर्क सूत्र (दूरभाषा सहित).....
- 12- उत्तराखण्ड में जन्म/स्थायी निवास/उत्तराखण्ड में 15 वर्ष से लगातार निवास करने के संबंध में प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र देना अनिवार्य है-
(संलग्न करने का उल्लेख).....

नोट-केवल गढ़वाली, कुमाउँनी एवं अन्य बोलियों के पुरस्कार जैसे- गुमानी पंत, भजन सिंह 'सिंह', गोविन्द चातक पुरस्कारों हेतु उत्तराखण्ड एवं देश के अन्य भागों में रह रहे उत्तराखण्ड के साहित्यकारों के लिए जन्म एवं लगातार रहने की बाध्यता नहीं होगी, इन भाषा-बोली के साहित्यकारों के आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा।

संस्तुतिकर्ता का स्पष्ट नाम व पता दूरभाष सहित

(संस्तुतिकर्ता के हस्ताक्षर)

नोट- एक संस्तुति प्रपत्र पर किसी एक साहित्यकार के नाम की संस्तुति ही मान्य।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून
उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान-2026

मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1—पुस्तक का नाम
- 2—लेखक का नाम.....
- 3—लेखक की जन्म तिथि.....
- 4—जन्म स्थान
- 5—लेखक का पता.....
- 6— पुस्तक की 04—04 प्रतियाँ (आवेदन पत्र के साथ संलग्न).....
- 7— उत्तराखण्ड में जन्म/स्थायी निवास/उत्तराखण्ड में 15 वर्ष से लगातार निवास करने के संबंध में प्रमाण—पत्र/शपथ—पत्र देना अनिवार्य है (संलग्न करने का उल्लेख)
- नोट—केवल गढ़वाली, कुमाउंनी एवं अन्य बोलियों के पुरस्कार जैसे— बहादुर बोरा, शेर सिंह बिष्ट 'अनपढ़', भवानीदत्त थपलियाल, कन्हैयालाल डंडरियाल पुरस्कारों हेतु उत्तराखण्ड एवं देश के अन्य भागों में रह रहे उत्तराखण्ड के साहित्यकारों के लिए जन्म एवं लगातार रहने की बाध्यता नहीं होगी, इन भाषा—बोली के साहित्यकारों के आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा।
- 8— पुस्तक की विधा का नाम (विज्ञापन के अनुसार)
- 9— पुरस्कार के लिए आवेदन (विज्ञापन के अनुसार).....
- 10— प्रकाशन वर्ष.....(प्रत्येक पुस्तक में प्रथम संस्करण के प्रकाशन का वर्ष मुद्रित होना अनिवार्य होगा।)
- 11— पुस्तक में अंकित आई.एस.बी.ए.नम्बर (प्रमाण—पत्र या अन्य प्रमाण) संलग्न करें।
- 12— प्रकाशक का नाम और पता

(1) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा रचित

शीर्षक पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रथम बार सन्में प्रकाशित हुआ है।

(2) संबंधित पुस्तक का 60 प्रतिशत या उससे अधिक भाग पुस्तक के रूप में इससे पूर्व प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक शोध प्रबन्ध नहीं है एवं न ही पाठ्य पुस्तक है।

लेखक/सम्पादक के हस्ताक्षर:.....

दिनांक:.....

पूरा पता:.....

.....

दूरभाष.....

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून
उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान-2026

अनूदित कृति पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1-अनूदित पुस्तक का नाम.....
- 2-लेखक का नाम.....
- 3-लेखक की जन्म तिथि.....
- 4-जन्म स्थान
- 5-लेखक का पता.....
- 6- अनूदित पुस्तक का विवरण—
 - पुस्तक का मूल नाम.....
 - पुस्तक के मूल लेखक का नाम.....
 - मूल लेखक का पता/दूरभाष.....
 - इससे पूर्व किसी और भाषा में अनुवाद हुवा है का विवरण.....
- 7- अनुवाद की गयी मूल कृति के लेखक से अनुवाद करने हेतु अनुमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है...
.....
- 8- उत्तराखण्ड में जन्म लेने या उत्तराखण्ड गठन से लगातार रहने का प्रमाण-पत्र
(संलग्न करने का उल्लेख)
- 9- पुस्तक की विधा का नाम (विज्ञापन के अनुसार)
- 10- प्रकाशन वर्ष.....(प्रत्येक पुस्तक में प्रथम संस्करण के
प्रकाशन का वर्ष मुद्रित होना अनिवार्य होगा।)
- 11- पुस्तक में अंकित आई.एस.बी.ए.नम्बर (प्रमाण-पत्र या अन्य
प्रमाण) संलग्न करें।
- 12- प्रकाशक का नाम और पता
- लेखक/सम्पादक के हस्ताक्षर:.....
- दिनांक:.....
- पूरा पता:.....
-
- दूरभाष.....

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून
उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान-2026

(ङ) नवोदित साहित्य उदीयमान सम्मान के लिये आवेदन पत्र

- 1- साहित्यकार का नाम.....
- 2- जन्म तिथि.....
- 3- साहित्यकार की 1 जुलाई, 2025 को आयु.....
- 4- जन्म स्थान
- 5- पता.....
- 6- लेखन की विधा.....
- 7- प्रकाशित साहित्य (कृतियों की संख्या सहित).....
- 8- सर्वोत्कृष्ट पुस्तक की 04-04 प्रतियाँ (आवेदन पत्र के साथ संलग्न).....
- 9- प्राप्त पुरस्कार/सम्मान आदि का विवरण.....
- 10- उत्तराखण्ड में जन्म/स्थायी निवास/उत्तराखण्ड में 15 वर्ष से लगातार निवास करने के संबंध में प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र देना अनिवार्य है (संलग्न करने का उल्लेख)
- नोट-केवल गढ़वाली, कुमाउंनी एवं अन्य बोलियों के पुरस्कार जैसे- गिरीश तिवारी गिर्दा, विद्या सागर नौटियाल, इला चन्द्र जोशी पुरस्कारों हेतु उत्तराखण्ड एवं देश के अन्य भागों में रह रहे उत्तराखण्ड के साहित्यकारों के लिए जन्म एवं लगातार रहने की बाध्यता नहीं होगी, इन भाषा-बोली के साहित्यकारों के आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा।
- 11- आयु प्रमाण पत्र-(आयु प्रमाण पत्र या 10वीं के प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है) ...
- 12- पुरस्कार के लिए आवेदन (विज्ञापन के अनुसार).....

साहित्यकार के हस्ताक्षर:.....

दिनांक:.....

पूरा पता:.....

दूरभाष.....

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून
उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान-2026

साहित्यिक पत्र/पत्रिका लेखन पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1-पत्रिका का नाम
- 2-सम्पादन का नाम.....
- 3-जन्म तिथि.....
- 4-जन्म स्थान
- 5-पत्राचार का पता.....
- 6- पत्रिका का पंजीकरण संख्या.....
- 7- पत्रिका का स्वरूप (मासिक/द्वैमासिक/त्रैमासिक).....
- 8- पत्रिका का प्रकाशन कितने वर्षों से किया जा रहा है, का विवरण.....
- 9- उत्तराखण्ड में जन्म लेने या उत्तराखण्ड गठन से लगातार रहने का प्रमाण-पत्र
(संलग्न करने का उल्लेख)
- 10- प्रकाशक का नाम और पता
- 11- पुरस्कार के लिए आवेदन (विज्ञापन के अनुसार).....
- 11- प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा सम्पादित पत्रिका.....

शीर्षक का प्रथम संस्करण प्रथम बार सन्में प्रकाशित हुआ है, इस पत्रिका को मेरे द्वारा निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है, मैं विज्ञापन के अनुसार वर्ष विशेष के सभी अंक संलग्न कर प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

सम्पादक के हस्ताक्षर:.....

दिनांक:.....

पूरा पता:.....

दूरभाष.....